



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2003/माघ 22, 1924

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2003/MAGHA 22, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 578(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“29. रिफैम्पीसीन, आइसोनियाजिड और पाइराजिनामाइड के संयोजन के साथ नियत मात्रा, उसके सिवाय जो प्रतिदिन व्यस्क मात्रा दी जाती है, नीचे दी गई है :—

औषधि	न्यूनतम	अधिकतम
रिफैम्पीसीन	450 मिग्रा.	600 मिग्रा.
आइसोनियाजिड	300 मिग्रा.	400 मिग्रा.
पाइराजिनामाइड	1000 मिग्रा.	1500 मिग्रा.”

[फा. सं. एक्स-11014/12/2001-डीएमएस और पीएफए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण— प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. 578(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1983 के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार सा.का.नि. 648(अ) दिनांक 16-9-2002 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2003

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 578(E), dated the 23rd July, 1983, namely :—

In the Table to the said notification, for serial number 29 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"29. Fixed dose combination of Rifampicin, Isoniazid and Pyrazinamide, except those which provide daily adult dose given below :—

Drugs	Minimum	Maximum
Rifampicin	450 mg.	600 mg.
Isoniazid	300 mg.	400 mg.
Pyrazinamide	1000 mg.	1500 mg."

[F. No. X-11014/12/2001-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Foot note.—The Principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 578(E), dated the 23rd July, 1983 and last amended vide G.S.R. 648 (E) dated 16-9-2002.